खेतों में तत्काल सभी प्रकार की राहत कार्य शुरू करें ताकि कोई भी व्यक्ति भूख से मरने नहीं पावे।

(xi) Restoration of train Services on Samastipur-Darbhanga and Samastipur-Khagariya Sections of N. E. Railway

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय देश में कोयले का अभाव नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय बराबर गौरव के साथ इस का दावा करता रहा है। फिर भी पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर खगाड़िया खंड तथा समस्तीपुर दरभंगा की नई लोकप्रिय गाड़ियों का परिचालन कोयले की कमी दर्शा कर निरस्त का जाती रही हैं। यदि कोई कोयले का वास्तविक अभाव हो गाड़ियों के निरस्त होने का कारण है तो ये दोष रेलवे के उन अधिकारियों का है जिन पर कोयले की आपूर्ति का उत्तरदायित्व है। किन्तु आज तक नहीं सुना गया है कि किसी ऐसे अधिकारी को हजारों यात्रियों को असुविधा में डालने के आरोप में दंडित किया गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि निजी यातायात में चलने वाले बस के मालिकों का इन से गठ-जोड़ होने के कारण जानबूझ कर कोयले के कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा की जाती है जिस से जरूरतमंद यात्रियों को विवश होकर अपनी यात्रा बस में करना पड़े। उसी प्रकार के निहित स्वार्थ का हाथ समस्तीपुर मंडल का कुछ हिस्सा काट कर सोनपुर मडंल में मिलाने के पीछे लगता है क्योंकि हर स्टेशन कुछ अधिकारियों को चढ़ावा जो मिलता है। इस पुनर्गठन से परिचालन में कोई सुविधा नहीं बढ़ी समस्तीपुर जंक्शन पर मीटरगेज और ब्राडगेज का वे शासन कायम है जिनमें समुचित सामंजस्य का अभाव है। परिणामस्वरूप एक गेज की गाड़ी बदल कर दूसरे गेज की गाड़ी पकड़ने वाले यात्रियों की गाड़ी कुछ मिनटों के लिये छूटती रही है। हां साठाजगत तक के व्यापारियों की असुविधा अवश्य बढ़ गई है क्योंकि अब उन को रेलवे सम्बन्धित हर काम के लिये कुछ किलोमीटर तय कर निकट के आफिस समस्तीपुर के बदले 70—80 कि० मी० दूर सोनपुर जाना पड़ता है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यात्रियों की सुविधा के लिये इन खंडों पर गाड़ियों को निरस्त न होने दें तथा समस्तीपुर मंडल के इहले को पूर्ववत कर दें।

(xii) Need to increase the Contribution of Workers to Provident Found to 10 per cent.

***Shri D.S.A. Sivaprakasam (Tirunelveli)** : Mr. Deputy-Speaker Sir, in India the industries have been classified as Heavy Industry, Mines, Automobiles, Textiles, etc., and for the benefit of workers in these industries, the Central Government enacted Provident Fund Act in 1952 according to which at the rate of 6 per cent contribution to PF was deducted from the salary of the workers and equal amount from the employers' side was also added to the worker's contribution. At the time of retirements the PF amount is disbursed to the workers

On account of the steep rise in the prices and the declining purchasing powers of rupee, the contribution of 6 per cent to PF enhanced to 8 per cent as it was felt that 6 per cent would not fetch anything to the workers at the time of their retirement. Presently, the value of rupee is just 26 paise, as has been estimated by eminent economists of the country and the prices have gone up to high heavens. Unless the PF contribution of 6 per cent is enhanced to 10 per cent the workers will not derive any benefit from their savings later on. The public exchequer will also stand to bene fit by this increase and the equal contribution of management would further add up this amount.

In this background, it is demanded that the Government should amend the PF Act raising the contribution to PF to 10 per cent

---

*The original speech was delivered in Tamil.